इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जनवरी 2018—माघ 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्र एफ-बी-04-02-2018-2-पांच (04).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 7 के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु 25 लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाकर 500/- रुपये नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्र एफ-बी-04-02-2018-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-02-2018-2-पांच (04), दिनांक 24 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया उपसचिव.

Bhopal, the 24th January 2018

No. B-4-02-2018-2-V(04).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, reduces and fixes the stamp duty chargeable under article 7 of Stamp Schedule 1A of the instrument of agreement relating to deposit of title deeds executed in favour of banks for securing loans up to Rupees 25 lacs for eastablisment of micro and small scale enterprises to Rupees 500.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.